रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238352
CG-DL-E-24082022-238352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3827] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944
No. 3827] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

का.आ. 4001(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पैनः-AAAJA1610Q), जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत गठित बोर्ड, को उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981(1981 का 14) के तहत प्राप्त सहमति शुल्क;

(ख) सर्वेक्षणशुल्क या वायु परिवेश गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क या ध्वनि स्तर सर्वेक्षण शुल्क;

(ग) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;

(घ) जैव चिकित्सा प्राधिकरण शुल्क;

(ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;

(च) राज्य और केन्द्र सरकार से अनुदान;

(छ) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का 22) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(ज) विधि पुस्तकों की बिक्री जहां कोई लाभ तत्व शामिल नहीं और गतिविधि वाणिज्यिक प्रकृति की नहीं है;

(झ) बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज;

(ञ) विविध आय जैसे कि रद्दी माल की बिक्री, निविदा शुल्क;

(ट) उपर्युक्त (क) से (ञ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, और 2020-2021 के लिए लागू की गई मानी जाएगी जो कि विशेष अनुमति याचिका(सी) सं. 014351/2022 के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका 4834/2020 और 15629/2020 में सामान्य आदेश दिनांक 26.07.2021 के समक्ष तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के नतीजों की शर्तों के अधीन होगी।

[अधिसूचना सं. 103/2022/फा. सं. 300196/18/2017-आईटीए-I (पीटी. -1)]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना को तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आंध्रप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम सीबीडीटी एवं अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 4834/2020 और 15629/2020 में आए माननीय तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के सामान्य आदेश के अनुपालन में जारी किया जा रहा है। माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिनांक 26.07.2021 के उपर्युक्त आदेश के प्रति भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल पी(सी)संख्या 014351/2022 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2022

S.O. 4001(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Andhra Pradesh Pollution Control Board (PAN AAAJA1610Q), a Board constituted by the State Government of Andhra Pradesh under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) consent fee received under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(b) analysis fees or air ambient quality survey fees or noise level survey fees;

(c) reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Water Quality Monitoring Programme and National Air Quality Monitoring Programme like Schemes;

(d) bio medical authorization fees;

(e) cess reimbursement and cess appeal fees;

(f) grants from State or Central Government;

(g) fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(h) sale of law books where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;

(i) interest on loans and advances given to staff of the Board;

(j) miscellaneous income like sale of old scrap items, tender fees; and

(k) Interest earned on (a) to (j) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Andhra Pradesh Pollution Control Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021 subject to the outcome of the Special Leave Petition filed by Central Board of Direct Taxes vide SLP(C) No. 014351/2022 in the Hon'ble Supreme Court of India against the Common order dated 26.07.2021 in W.P.4834/2020 and 15629/2020 by the High Court for the State of Telangana.

[Notification No. 103/2022/F. No. 300196/18/2017-ITA-I (PT.-1)]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

This notification is issued in compliance to the Hon'ble High Court for the State of Telangana's Common Order dated 26.07.2021 in W.P. No.4834/2020 and 15629/2020 in case of Telangana State Pollution Control Board and Andhra Pradesh Pollution Control Board vs. CBDT & ors. Special Leave Petition has been filed by SLP(C) No.014351/2022 in the Hon'ble Supreme Court of India against the above mentioned Order dated 26.07.2021 of the Hon'ble High Court of Telangana. It is certified that no person is being affected adversely by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA